उत्तराखण्ड सरकार

वित्त विभाग

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड

(पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय निकाय)

(वर्ष 2016–2021)

के

प्रतिवेदन

में

की गई

अन्य संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा

की गई कार्यवाही का

स्पष्टीकारक ज्ञापन

उत्तराखण्ड सरकार
वित्त विभाग

विषयः— **चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रतिवेदन की अन्य संस्तुतियों पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में स्पष्टीकारक ज्ञापन।**

संविधान के अनुच्छेद 243–झ (4) तथा 243–म (2) में इंगित व्यवस्थानुसार पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के लिये संसाधनों के अन्तरण तथा उनकी वित्तीय व्यवस्था में सुधार के उपायों पर संस्तुति देने हेतु प्रदेश में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन 02 फरवरी, 2015 को किया गया था। इस आयोग ने 01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2021 तक, पाँच वर्षो की अवधि में प्रदेश की शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को राज्य के शुद्ध कर राजस्व से अन्तरण की जाने वाली धनराशि तथा उनकी अन्य वित्तीय एवं प्रशासकीय व्यवस्थाओं के विषय में अपना प्रतिवेदन दिनांकः 31 मई, 2016 को श्री राज्यपाल को प्रस्तुत किया गया, जिसमें निहित वित्तीय अन्तरण की संस्तुतियों को राज्य सरकार द्वारा 01 अप्रैल, 2017 से कतिपय संशोधनों के साथ कार्यान्वयन किये जाने का निर्णय लिया गया था। इस संबंध में वित्तीय अन्तरण की संस्तुतियों पर स्पष्टीकारक ज्ञापन पूर्व में 27 मार्च, 2017 को विधान सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया था।

2— राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की **"अन्य संस्तुतियों"** को निम्नवत् कार्यान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया हैः—

क0सं0	आयोग द्वारा की गई अन्य संस्तुतियाँ	राज्य सरकार का निर्णय
1—	हम अगले आयोग को केवल हिन्दी में ही रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने की सिफारिश करते हैं। **(प्रस्तर 1.5)**	आयोग की रिपोर्ट हिन्दी एवं अंग्रेजी में आवश्यक होने के दृष्टिगत संस्तुति स्वीकार नहीं की गयी।
2—	आयोग ने भविष्य में राज्य वित्त आयोग के गठन के छः माह पूर्व संभार तंत्र उपलब्ध कराने की संस्तुति की गई है। **(प्रस्तर–1.7)**	संस्तुति स्वीकार की गयी।
3—	पाँचवें राज्य वित्त आयोग के गठन, स्थानीय निकायों से संबंधित प्रश्नावलियों पर सूचना ऑन लाइन उपलब्ध कराना, आयोग के सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तो आदि पर सहमति 30 सितम्बर, 2019 एवं प्रतिवेदन 01 मार्च, 2021 तक विधानसभा के पटल पर रखे जाने की संस्तुति की गई है। **(प्रस्तर–1.8)**	संस्तुति स्वीकार की गयी।
4—	शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं के द्वारा उठाये गये विभिन्न मुद्दों पर विचार करने हेतु राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति गठित करने की सिफारिश की गई है। **(प्रस्तर–3.4)**	संस्तुति स्वीकार की गयी।

5–	राज्य सरकार का कुल अनुमानित व्यय, इस आयोग द्वारा संस्तुत उच्चतर समनुदेशन का संज्ञान न लिये बिना भी, अनुमानित प्राप्तियों से काफी अधिक है। पूर्वानुमान में दिखाए गए व्यय के स्तर को बनाए रखना सम्भव नहीं है क्योंकि व्यय तथा प्राप्तियों के बीच की दूरी पाटने का कोई तरीका नहीं है तथा इसका एक मात्र विकल्प राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना तथा व्यय को कम करना है। यदि इन दिशाओं में कदम नहीं बढ़ाये जाते हैं तो राज्य सरकार को अपनी योजना के आकार में भारी कमी करनी होगी जिससे अधिकांश आरम्भ किये गए पूंजीगत कार्य अपूर्ण रहेंगे। **(प्रस्तर–4.16)**	राज्य के संसाधन में वृद्धि हेतु समिति का गठन किया गया है। अतः संस्तुति स्वीकार की गयी।
6–	सरकार को व्यय में वास्तविक कमी करनी पडेगी तथा स्वयं के कर तथा करेत्तर राजस्व में महत्वपूर्ण वृद्धि करनी पडेगी। **(प्रस्तर–4.19)**	संस्तुति स्वीकार की गयी।
7–	कॉरपेट एरिया पर आधारित स्व–मूल्याकंन पद्धति, जिस पर पूर्व के आयोग द्वारा बल दिया गया था अब चयनित नगर निगमों में आरम्भ हो चुकी है। आयोग का यह सुविचारित मत है कि इसे अगले 5 वर्षों में श्रेणी एक की नगर पालिका परिषदों अर्थात नैनीताल, मसूरी, रामनगर, पौड़ी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा तथा ऋषिकेश में भी प्रारम्भ किया जाना चाहिए। **(प्रस्तर–5.27)**	नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–128 व 140 में की गई व्यवस्था के अनुसार श्रेणी–एक की नगर पालिकाओं के लिए की जायेगी। उक्तानुसार संस्तुति स्वीकार की गयी।
8–	शहरी विकास विभाग द्वारा चयनित नगर निगमों व नगरपालिका परिषदों में सम्पत्तियों की GIS Mapping के द्वारा गणना के लिये "पाइलेट प्रोजेक्ट" चलाया जाय। परिणामों को देखते हुए इसे सभी नगर निगमों व नगर पालिका परिषदों में चरणबद्ध ढ़ंग से आरम्भ किया जाये। **(प्रस्तर–5.28)**	इस परियोजना के अंतर्गत 6 नगर निगमों, 01 नगर पालिका परिषद–नैनीताल को सम्मिलित कर प्रस्ताव एस.एल.टी.सी. से अनुमोदन के बाद हाई पावर कमेटी भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा। उक्तानुसार संस्तुति स्वीकार की गयी।
9–	अनेक शहरी स्थानीय निकायों में कर संग्रह में काफी ढ़िलाई है तथा अधिकांश नगर पालिका परिषदों में वसूली का प्रतिशत कुल मांग का बहुत कम है। आयोग की राय में सभी शहरी स्थानीय निकायों को वार्षिक मांग की कम से कम 80 प्रतिशत वसूली करनी चाहिए। इसी के साथ बकाये की वसूली के विशेष प्रयास करने चाहिए। **(प्रस्तर–5.28)**	शहरी स्थानीय निकायों में वार्षिक मांग की अधिक से अधिक वसूली किये जाने हेतु समस्त नगर निकायों को निर्देशित किया गया है तथा इसको दृष्टिगत रखते हुए विगत वर्ष की तुलना में आलोच्य वर्ष में बढ़ी हुई आय प्राप्त करने वाले निकाय को 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रोत्साहन धनराशि भी उपलब्ध करायी गई है। उक्तानुसार संस्तुति स्वीकार की गयी।

5–	राज्य सरकार का कुल अनुमानित व्यय, इस आयोग द्वारा संस्तुत उच्चतर समनुदेशन का संज्ञान न लिये बिना भी, अनुमानित प्राप्तियों से काफी अधिक है। पूर्वानुमान में दिखाए गए व्यय के स्तर को बनाए रखना सम्भव नहीं है क्योंकि व्यय तथा प्राप्तियों के बीच की दूरी पाटने का कोई तरीका नहीं है तथा इसका एक मात्र विकल्प राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना तथा व्यय को कम करना है। यदि इन दिशाओं में कदम नहीं बढ़ाये जाते हैं तो राज्य सरकार को अपनी योजना के आकार में भारी कमी करनी होगी जिससे अधिकांश आरम्भ किये गए पूंजीगत कार्य अपूर्ण रहेंगे। **(प्रस्तर–4.16)**	राज्य के संसाधन में वृद्धि हेतु समिति का गठन किया गया है। अतः संस्तुति स्वीकार की गयी।
6–	सरकार को व्यय में वास्तविक कमी करनी पडेगी तथा स्वयं के कर तथा करेत्तर राजस्व में महत्वपूर्ण वृद्धि करनी पडेगी। **(प्रस्तर–4.19)**	संस्तुति स्वीकार की गयी।
7–	कॉरपेट एरिया पर आधारित स्व–मूल्याकंन पद्धति, जिस पर पूर्व के आयोग द्वारा बल दिया गया था अब चयनित नगर निगमों में आरम्भ हो चुकी है। आयोग का यह सुविचारित मत है कि इसे अगले 5 वर्षों में श्रेणी एक की नगर पालिका परिषदों अर्थात नैनीताल, मसूरी, रामनगर, पौड़ी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा तथा ऋषिकेश में भी प्रारम्भ किया जाना चाहिए। **(प्रस्तर–5.27)**	नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–128 व 140 में की गई व्यवस्था के अनुसार श्रेणी–एक की नगर पालिकाओं के लिए की जायेगी। उक्तानुसार संस्तुति स्वीकार की गयी।
8–	शहरी विकास विभाग द्वारा चयनित नगर निगमों व नगरपालिका परिषदों में सम्पत्तियों की GIS Mapping के द्वारा गणना के लिये "पाइलेट प्रोजेक्ट" चलाया जाय। परिणामों को देखते हुए इसे सभी नगर निगमों व नगर पालिका परिषदों में चरणबद्ध ढ़ंग से आरम्भ किया जाये। **(प्रस्तर–5.28)**	इस परियोजना के अंतर्गत 6 नगर निगमों, 01 नगर पालिका परिषद–नैनीताल को सम्मिलित कर प्रस्ताव एस.एल.टी.सी. से अनुमोदन के बाद हाई पावर कमेटी भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा। उक्तानुसार संस्तुति स्वीकार की गयी।
9–	अनेक शहरी स्थानीय निकायों में कर संग्रह में काफी ढ़िलाई है तथा अधिकांश नगर पालिका परिषदों में वसूली का प्रतिशत कुल मांग का बहुत कम है। आयोग की राय में सभी शहरी स्थानीय निकायों को वार्षिक मांग की कम से कम 80 प्रतिशत वसूली करनी चाहिए। इसी के साथ बकाये की वसूली के विशेष प्रयास करने चाहिए। **(प्रस्तर–5.28)**	शहरी स्थानीय निकायों में वार्षिक मांग की अधिक से अधिक वसूली किये जाने हेतु समस्त नगर निकायों को निर्देशित किया गया है तथा इसको दृष्टिगत रखते हुए विगत वर्ष की तुलना में आलोच्य वर्ष में बढ़ी हुई आय प्राप्त करने वाले निकाय को 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रोत्साहन धनराशि भी उपलब्ध करायी गई है। उक्तानुसार संस्तुति स्वीकार की गयी।

10–	राज्य में एक स्वतन्त्र कानूनी राज्य स्तरीय प्राधिकरण का गठन समय समय पर कर दरों की समीक्षा व पुनरीक्षण हेतु किया जाय। इससे यह भी अपेक्षा होनी चाहिए कि यह अनिवार्य रुप से कर निर्धारण के तथा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सुनी गई अपीलों के एक निश्चित न्यूनतम प्रतिशत का परीक्षण करे तथा यदि किसी मामले में कोई गलती या उल्लंघन पाया जाए तो इसे शहरी स्थानीय निकायों तथा उनके अधिकारियों पर अर्थदण्ड आरोपित करने का अधिकार भी होना चाहिए। **(प्रस्तर–5.28)**	निकायों में सम्पत्ति कर की दरों को निर्धारित किये जाने के लिए प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है, जो सम्पत्ति कर की दरों का निर्धारण, संग्रह की प्रकिया व विवादों का निस्तारण करेगा। उक्तानुसार संस्तुति स्वीकार की गयी। इस संबंध में शहरी विकास विभाग कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
11–	वर्तमान आयोग पुनः इस बात पर बल देता है कि सम्पत्ति एवं विभव कर के स्थान पर व्यवसाय कर लगाया जाए तथा इसे जिला पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों को समनुदेशित कर दिया जाए। **(प्रस्तर–6.14)**	जिला पंचायतों द्वारा सम्पत्ति एवं विभव कर के साथ–साथ व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु लाईसेन्स शुल्क आरोपित किया गया है। उक्तानुसार संस्तुति स्वीकार की गयी।
12–	''पेंशन निधि को जिला मजिस्ट्रेट के निवर्तन पर ही रखा जाय परन्तु पूरे जनपद के लिये एक निधि के स्थान पर प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के लिये अलग–अलग पेंशन निधियाँ स्थापित की जांय व संक्रमण धनराशि का निश्चित प्रतिशत पेंशन निधि में जमा किया जाय ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियमित पेंशन का भुगतान किया जा सके'' आयोग यह संस्तुति भी करता है कि शासन को पेंशन तथा सेवानिवृत्तिक लाभों के भुगतान की वर्तमान व्यवस्था का पुनर्विलोकन करना चाहिए। **(प्रस्तर–7.18)**	प्रशासनिक विभाग द्वारा संज्ञान में लिया गया। प्रशासनिक विभाग कार्यवाही सुनिश्चित करायें। उक्तानुसार संस्तुति स्वीकार की गयी।
13–	ऊर्जा विभाग इस सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण जारी करे कि ऊर्जा निगमों की कौन सी सम्पत्तियों पर शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कर लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता है। **(प्रस्तर–7.20)**	ऊर्जा निगम की किसी भी सम्पत्ति पर कर देय नहीं है। अतः संस्तुति स्वीकार की गयी।
14–	सभी विद्युत उपभोक्ताओं पर 2 प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाय। इस हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाये जिसमें ऊर्जा, न्याय, शहरी विकास तथा वित्त विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य हों तथा इस मुद्दे का शीघ्रता से निपटारा किया जाय। **(प्रस्तर–7.20)**	सभी विद्युत उपभोक्ताओं पर 02 प्रतिशत के स्थान पर 01 प्रतिशत अधिभार लगाया जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। उक्तानुसार संस्तुति स्वीकार की गयी।

15–	शहरी स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट के निस्तारण में सहायता हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु तथा चाहरदीवारी या पुश्ते के निर्माण हेतु एक व्यपगत न होने वाली निधि की स्थापना की जाय, जिससे जब भी निकायों को वन भूमि उपलब्ध करायी जाय तब एन.पी.वी. का भुगतान किया जा सके। **(प्रस्तर–8.11)**	शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड के कार्यालय ज्ञाप सं0–293, दिनांकः 18.02.2016 के अनुसा प्रत्येक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति भूमि का चयन कर निकाय का उपलब्ध करायेगी। उक्तानुसार संस्तुति स्वीकार की गयी।
16–	श्रीनगर नगर पालिका के आचन स्थित निस्तारण स्थल का आधुनिकीकरण करने की एक विशिष्ट परियोजना की स्थापना की पहल जम्मू व कश्मीर "इकौनोमिक रिजनरेशन एजेन्सी (ई.आर.ए.) द्वारा की गई है। आयोग ने प्रदेश में किसी एक नगर निगम में पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में इसी प्रकार की सुविधा विकसित करने की संस्तुति की है। **(प्रस्तर–8.14)**	श्रीनगर नगर पालिका के आचन स्थित निस्तारण स्थल का आधुनिकीकरण की विशिष्ट स्थापना के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की समिति का गठन कर भेजी जायेगी। वर्तमान में सॉलिड वेस्ट मैंनेजमेन्ट की परियोजना देहरादून हरिद्वार, हल्द्वानी में कियान्वित है अतः वर्तमान में भारत सरकार नीति आयोग द्वारा सॉलिड वेस्ट मैंनेजमेन्ट, रूड़की की परियोजन वित्त पोषण करने की सहमति दे गई है। कार्यवाही गतिमान होने क कारण संस्तुति स्वीकार की गयी।
17–	आयोग का अभिमत है कि क्षेत्र पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य रूप से स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा मार्ग प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व लेना चाहिए तथा उनके क्षेत्र में स्थित जनगणना कस्बों में विशेष रूप से ये व्यवस्थाऐं करनी चाहिए, जबकि अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में ये व्यवस्थाऐं जिला पंचायतों द्वारा तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सस्तुतियों के अनुसार करनी चाहिए। **(प्रस्तर–9.9)**	वर्तमान में 40 निकायों का सीम विस्तार किया जा चुका है, जिसक फलस्वरूप अर्धशहरी क्षेत्रों अपशिष्ट प्रबन्धन तथा मार्ग प्रका उपलब्ध होगी। उक्तानुस संस्तुति स्वीकार की गयी।
18–	किसी क्षेत्र में नगर पालिका की स्थापना के लिये यह आवश्यक है कि अधिसूचना निर्गत करने से पूर्व राज्यपाल इस आशय की अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशन द्वारा तथा एक स्थानीय (जिला या मण्डल स्तरीय) समाचार पत्र में प्रकाशित कर उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916, यथा उत्तराखण्ड में लागू की धारा 4 (1) व (2) के अनुसार "राज्यपाल अधिसूचना जारी करने से पूर्व, किसी ऐसी लिखित आपत्ति या सुझाव पर विचार करेगी, जो उसे किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में, विवर्णित अवधि के अन्दर प्राप्त हो।" ग्राम पंचायतें	शहरी विकास विभाग, उत्तराखण शासन के शासनादेश संख्याः 30 दिनांकः 06 नवम्बर, 2012 अनुसार उच्च स्तरीय समिति द्व निकायों का पुनर्गठन किया जा है। अतः संस्तुति स्वीकार गयी।

	निकटवर्ती नगर पालिकाओं में सम्मिलित होने से या एक अलग निकाय के रूप में स्थापित किये जाने पर दो कारणों से अनिच्छुक है। शासन इस संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करे, जिसमें राजनैतिक नेता, प्रशासक एवं विषय वस्तु विशेषज्ञ सम्मिलित हों जो इस संबंध में नीति निर्धारण एवं समस्या के समाधान हेतु सुझाव देगी। **(प्रस्तर–9.14)**	
19–	ग्राम पंचायतों में एक ही योजनाओं को 4–5 बार दिखाये जाने की समस्या के लिए ई–पंचायत की सिफारिश की गई है। **(प्रस्तर–10.6)**	संज्ञान में लिया गया। संबंधित विभाग कार्यवाही सुनिश्चित करायें। उक्तानुसार संस्तुति स्वीकार की गयी।
20–	वित्त विभाग/ निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड से निम्नलिखित साफ्टवेयर शहरी विकास विभाग से परामर्श करके उपलब्ध कराकर लागू किये जाने की संस्तुति की गई है। **(प्रस्तर–10.9)**	संज्ञान में लिया गया। संबंधित विभाग कार्यवाही सुनिश्चित करायें। उक्तानुसार संस्तुति स्वीकार की गयी।
(i)	वित्त विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय संक्रमण या अन्य अनुदानों की धनराशि सीधे उनके बैंक या पी.एल.ए. खाते में स्थानान्तरित करना।	
(ii)	स्थानीय निकायों के कार्मिकों के पे–रोल लेखा पद्धति विलम्बतम लागू करना।	
(iii)	साफ्टवेयर की उपयोग विधि तथा शहरी विकास निदेशालय व शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर डाटा इन्ट्री के संबंध में नियमित रूप से प्रशिक्षण की व्यवस्था।	
(iv)	सेवानिवृत्त पेंशनरों के पेंशन का भुगतान पेंशन फण्ड से सीधे उनके खाते में किये जाने हेतु साफ्टवेयर की व्यवस्था एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण।	
(v)	शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 01.10.2016 से ऑन–लाइन अधिप्राप्ति हेतु प्रशिक्षण।	
(vi)	वर्ष 2018–19 से शहरी स्थानीय निकायों को धनराशि अन्तरित करने हेतु साफ्टवेयर उपलब्ध कराना एवं साफ्टवेयर लागू करने हेतु प्रोत्साहित करना।	
21–	शहरी स्थानीय निकाय के संरचनात्मक ढॉचे को संशोधित किया जाना। **(प्रस्तर–10.14)**	शहरी स्थानीय निकायों के संरचनात्मक ढ़ांचा संशोधित कर दिया गया है, तद्नुसार संस्तुति स्वीकार की गयी।

22–	ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के बीच में तनाव है क्योंकि दोनों अलग–अलग विभाग के अधिकारी हैं। शासन के यह स्पष्ट आदेश हैं कि खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत के कार्य भी देखेंगे। हम संस्तुति करते है कि इस प्रकार के मुद्दों को सुलझाने के लिए वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाय, जिसमें नियोजन, पंचायती राज व ग्राम्य विकास विभाग के सचिव सदस्यगण हों। **(प्रस्तर–10.16)**	व्यवहारिक अड़चनों के कारण संस्तुति स्वीकार नहीं की गयी।
23–	अगले दो तीन वर्षो में लेखा परीक्षा के बैक लॉग को समाप्त किया जाए क्योंकि विलम्ब से की गई लेखा परीक्षा का कोई लाभ नहीं है और अधिकांश मामलों मे यह एक निरर्थक कार्य ही रह जाता है। राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति को वाह्य स्रोतों के माध्यम से लेखा–परीक्षा की प्रगति की समीक्षा करनी चाहिये तथा जिला स्तर पर इस कार्य का उत्तरदायित्व जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी को सौंपना चाहिए। **(प्रस्तर–11.8)**	विभागीय उप लेखा समिति का गठन किया गया है। ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण हेतु प्रत्येक माह समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। उक्तानुसार संस्तुति स्वीकार की गयी।

देहरादून : दिनांक : 23 सितम्बर, 2020

वित्त मंत्री/मुख्य मंत्री

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 12 वित्त/105–10–09–2020–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।

उत्तराखण्ड सरकार
वित्त विभाग

विषयः— चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में स्पष्टीकारक ज्ञापन।

संविधान के अनुच्छेद 243 (झ) तथा 243 (म) में इंगित व्यवस्थानुसार पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के लिए संसाधनों के संक्रमण तथा उनकी वित्तीय व्यवस्था में सुधार के उपायों की संस्तुति देने हेतु चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन 02 फरवरी, 2015 को किया गया था। इस आयोग ने 01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2021 तक पांच वर्षो की अवधि में प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के शुद्ध कर राजस्व से अन्तरण की जानी वाली धनराशि तथा उनकी अन्य वित्तीय एवं प्रशासकीय व्यवस्थाओं के विषय में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार द्वारा आयोग की वित्तीय अन्तरण से सम्बन्धित संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैः—

1—नगरीय स्थानीय निकायों को अन्तरणः—

आयोग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को संस्तुत धनराशि का आंशिक संशोधन के साथ अन्तरण आयोग द्वारा इंगित प्रकियानुसार किया जायेगा।

2—पंचायतीराज संस्थाओं को अन्तरणः—

पंचायतीराज संस्थाओं को यथा संस्तुत धनराशि का आंशिक संशोधन के साथ अन्तरण आयोग द्वारा इंगित प्रकियानुसार किया जायेगा। क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को अन्तरण राशि का आधा अंश दिया जायेगा।

3— आयोग की संस्तुतियॉ 01 अप्रैल, 2017 से लागू होंगी।

4— शहरी स्थानीय निकायों के वेतन एवं पेंशन का बकाया भुगतान हेतु संस्तुत की गई धनराशि का आधा अंश दिया जायेगा।

5— वधशालाओं के निर्माण तथा आवारा कुत्तों, बन्दरों व मवेसियों की समस्या से निजात पाने के लिए संस्तुत की गई धनराशि का आधा अंश दिया जायेगा।

6— आयोग की अन्य संस्तुतियों पर उनके वित्तीय, प्रशासनिक, व्यवहारिक एवं अन्य प्रासांगिक बिन्दुओं पर विचार कर समुचित निणर्य लिया जायेगा।

(त्रिवेन्द्र सिंह रावत)
मुख्यमंत्री।

देहरादून : दिनांकः 23 मार्च, 2017